



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 4320-26 दिनांक 22-06-2026 के क्रम में दिनांक 22.06.2026 को आयोजित हुई संकायाध्यक्ष बैठक की अनुशंसा का कुलगुरु महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 23.06.2026 के अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश 4992 दिनांक 04.07.2025 के बिन्दु संख्या 04 (i) में अंकित स्नातक स्तर सेमेस्टर पाठ्यक्रम के बिन्दु संख्या 01 एवं एक वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री सेमेस्टर पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करते हुए उक्त बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. तृतीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर में परीक्षार्थी के प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर का कोई भी पेपर बकाया रहता है तो भी उक्त छात्र चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा के लिए पात्र होगा। उक्त परीक्षार्थियों को उपाधि विषम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के बाद अगले सम सेमेस्टर के साथ प्रदान की जायेगी। उक्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रथम सेमेस्टर अनुसार PPROM, BPROM एवं FPROM के अनुसार जारी किया जायेगा।
2. इसी प्रकार पंचम सेमेस्टर स्नातक स्तर में प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर का कोई भी पेपर बकाया रहता है तो भी उक्त छात्र षष्ठम् सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा के लिए पात्र होगा। उक्त परीक्षार्थियों को उपाधि विषम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के बाद अगले सम सेमेस्टर के साथ प्रदान की जायेगी। उक्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रथम/तृतीय सेमेस्टर अनुसार PPROM, BPROM एवं FPROM के अनुसार जारी किया जायेगा।
3. चार वर्षीय पाठ्यक्रम के सप्तम सेमेस्टर स्नातक में परीक्षार्थी के प्रथम सेमेस्टर, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर का कोई भी पेपर बकाया रहता है तो भी उक्त छात्र अष्टम् सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा के लिए पात्र होगा। उक्त परीक्षार्थियों को उपाधि विषम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के बाद अगले सम सेमेस्टर के साथ प्रदान की जायेगी। उक्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रथम सेमेस्टर अनुसार PPROM, BPROM एवं FPROM के अनुसार जारी किया जायेगा।
4. एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर का कोई भी पेपर बकाया रहता है तो उक्त छात्र द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा के लिए पात्र होगा। उक्त परीक्षार्थियों को उपाधि विषम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के बाद अगले सम सेमेस्टर के साथ प्रदान की जायेगी। उक्त परीक्षार्थियों के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम PPROM, BPROM एवं FPROM के अनुसार जारी किया जायेगा।



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH-15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

5. विद्यार्थी को तीन वर्षीय स्नातक परीक्षा अधिकतम 6 वर्षों में, दो वर्षीय स्नातकोत्तर परीक्षा अधिकतम 4 वर्षों में, 4 वर्षीय स्नातक परीक्षा अधिकतम 8 वर्षों एवं एक वर्षीय समस्त पाठ्यक्रम अधिकतम दो वर्षों में उत्तीर्ण करना होगा।
6. AEDP B.com. एवं AEDP B.Sc. का परीक्षा परिणाम की स्कीम वही लागू होगी जो क्रमशः स्नातक स्तर की B.com. एवं B.Sc. में लागू है।

नोट :- उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 4992 दिनांक 04.07.2025 में वर्णित शेष दिशा-निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेगी।


कुलसचिव

क्रमांक:प.07(126)मगसिंविबी/शैक्षणिक-11/परीक्षा/2026/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-कुलगुरु, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक-कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त कुलसचिव